संख्या-8/2017/307/94-स्टा०नि०-2-2017-312(154)/08

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2017

विषय:- स्टाम्प वादों के प्रबंधन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में, ''राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली'' स्थापित की गयी है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों द्वारा सभी राजस्व वादों के योजन, विचारण, निस्ताण एवं निर्णय अपलोड करने संबंधी सभी न्यायिक चरण सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं। इस संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त प्रणाली के स्थापित हो जाने के उपरान्त भी स्टाम्प वादों का योजन और वाद संख्या के निर्धारण आदि के कार्य अभी भी पुरानी पद्धति से केन्द्रीय मिसलबंद के माध्यम से किये जा रहे हैं जबकि उक्त प्रणाली के अंतर्गत वाद के योजन एवं वाद संख्या के निर्धारण आदि की समुचित प्रक्रिया मौजूद है तथा सम्प्रति सभी स्टाम्प वादों की प्रत्येक कार्यवाही इसी प्रणाली के अंतर्गत ही की जा रही है। इस कारण से स्टाम्प वादों की प्रबंधन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति के निराकरण हेतु स्टाम्प वादों की प्रबंधन की निम्न प्रक्रिया स्थापित की जाती है:-

1. स्टाम्प वादों के योजन हेतु प्रत्येक अधिकृत अधिकारी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लेखपत्र पर स्टम्प वाद योजन हेतु संदर्भण आख्या, जनपद के सहायक आयुक्त स्टाम्प को प्रेषित की जाएगी।
2. उक्त संदर्भण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जनपद के सहायक आयुक्त स्टाम्प का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी आख्या के आधार पर ''राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली'' के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर, आख्या प्राप्त होने के अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर, संबंधित लेखपत्र पर वाद दर्ज करे और वाद पत्रावली सृजित करायें।
3. वाद दर्ज किये जाने के उपरान्त सहायक आयुक्त स्टाम्प का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह में दर्ज समस्त प्रकरणों को, माह की समाप्ति के बाद जनपद के जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. जनपद के जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह समस्त वाद प्रकरणों को स्टाम्प वादों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालयों के मध्य वितरित करें।
5. जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न न्यायालयों के मध्य उपरोक्त रीति से स्टाम्प वादों के वितरण के उपरांत सहायक आयुक्त स्टाम्प, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर स्टाम्प वादों के अंतरण का तथ्य अंकित करते हुये संबंधित वाद पत्रावलियॉ निर्धारित न्यायालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।
6. उपरोक्त व्यवस्था स्थापित किये जाने के उपरान्त जनपदों में संचालित स्टाम्प वादों के केन्द्रीय मिसलबंद को अभिलेखीय महत्व के लिये संरक्षित रखते हुए, इनका संचालन तत्काल बंद कर दिया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद में स्टाम्प वादों के प्रबंधन हेतु उपरोक्त व्यवस्था तत्काल स्थापित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव,

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।